

प्रमाणित ११ - कागज ३३

337777

५

१८

प्राप्त प्राप्त अर्धर सिंह

पति श्री - स्व. मेरी सिंह

ग्राम - अरुणपुर

माता - मनुका 10,000=00

मृतक

मृतक

10,000=00

क

सि जय मय
(सकल स्वयं पैस)

प्राप्त करनेवाला वडाभिलाषा ।

13-2-8

मनुका मनुका

04/12:40 PM
19-2-18

प्ररूप 2ख
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र
(राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन



नीचे भाग 1 या भाग 2, जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से
अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/

पिता का नाम उसका डाक पता

..... उसका नाम विधान सभा निर्वाचन-

क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं में क्रम सं 0 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो विधान सभा

निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं 0 में क्रम सं 0 पर प्रविष्ट है।

तारीख प्रस्तापक के हस्ताक्षर

भाग 2

हम विधान सभा के निर्वाचन के लिए 205 संभुजा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के
रूप में निम्नलिखित का नामनिर्देशन करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम अक्षय सिंह पिता/माता/

प्रति का नाम स्व. मोती सिंह उसका डाक पता गुजरा प्रो. अरवलासपुर

धाना संभुजा उसका नाम 205 संभुजा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र

की निर्वाचक नामावली के भाग सं 0 108 में क्रम सं 0 136 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम
उस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम
इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग की क्रम सं०			
1	2	3	4	5

1. 101 1335
2. 101 1298
3. 101 1295
4. 101 1291
5. 100 257
6. 101 163
7. 101 1251
8. 101 1253
9. 101 1272
10. 100 438

इलोक सिंह

राजेश्वर सिंह

दीनानाथ सिंह

महाराज नाथ सिंह

काशीलका पायल

महाश्वर सिंह

सुदर्शन सिंह

अनिरुद्र सिंह

सुभाष सिंह

शम्भू राम

13-2-11

13-2-11

13-2-11

13-2-11

13-2-11

13-2-11

13-2-11

13-2-11

13-2-11

कृपया ध्यान दें: प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी

अभ्यर्थिता देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने 73 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(नीचे(ग)(i)(ग)(ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ग) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाएगा

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है/ मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) हैं।

मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर पुष्पा ११११ (भाषा का नाम) में सही

रूप में दिखा गया है।

(ड) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

• मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं कुभी जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो ११११ राज्य के उस राज्य के ११११ (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे २०५ ११११ राज्य की विधान सभा के लिए साथ-साथ कराए जा रहे वर्तमान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

अभ्यर्थी
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख.....

*यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

••उन शब्दों को काट दें, जो लागू न हों।

कृपया ध्यान दें:--“मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल” निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धोष ठहराया गया है; या लागू नहीं होता

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध(अपराधों) के लिए सिद्धोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है लागू नहीं होता

यदि उत्तर “हां” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा:

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ११११
- (ii) पुलिस थाना(थाने) ११११ (जिला)(जिले) ११११ (राज्य) ११११
- (iii) संबद्ध अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धोष ठहराया गया था ११११
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) ११११

- (vi) न्यायालय जिसने (जिनहोंने) अभ्यर्थी को सिद्धांत ठहराया था..... शून्य
अधिशेषित दंड [कारावास (कारवासों) की अवधि और/या जुर्माने की राशि उपदर्शित करें]..... शून्य
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)..... शून्य
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे/हां/नहीं नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियां)..... शून्य
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके(जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे..... शून्य
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं..... शून्य
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें)..... शून्य
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)..... शून्य

- "(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है ? नहीं (हां/नहीं)
-यदि हां, धारित पद के ब्यौरे..... शून्य
- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ? नहीं (हां/नहीं)
-यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्नोचित कर दिया गया है..... शून्य
- (4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है ? नहीं (हां/नहीं)
-यदि हां, ब्यौरे दीजिए..... शून्य
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहित किया गया है ? नहीं (हां/नहीं)
-यदि हां, निरहित किए जाने की अवधि..... शून्य
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अजक्ति के लिए पदच्युत किया गया है ? नहीं (हां/नहीं)
-यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख..... शून्य
- (7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्ति है/सिगत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान सविदा(संविदाएं) रखता है जिसमें(जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है ? नहीं (हां/नहीं)
-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और आस्तित्ववान सविदा(ओं) के ब्यौरे..... शून्य

- क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम(सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है? नहीं (हां/नहीं)
- यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे प्रान्त
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है? नहीं (हां/नहीं)
- यदि हां, निहरण की तारीख प्रान्त

स्थान: भभुआ
तारीख

अशोक मिश्र
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग 4

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं० 04
यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 19.2.18 (तारीख) को 12.40 (बजे)
* अभ्यर्थी/प्रस्तावक अशोक मिश्र (नाम) द्वारा परित्त किया गया।

तारीख

* लागू होने वाले शब्द काट दीजिए।

अशोक मिश्र

अ
19.2.18
रिटनिंग आफिसर
उपस्थित निर्वाची वदाधिकारी
205 - भभुआ विधानसभा
निर्वाचन क्षेत्र

भाग 5

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख

(छिद्रण)

रिटनिंग आफिसर

प्ररूप 26
GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION OF ELECTIONS
KAMRUP SCORE SHABJA
COURT FEE
00000
0000100
375449
INDIA **Zero*Zero*Ten*Ten
बिहार
JUDICIAL
1263
1/12/18
पिता/पति का नाम
सम्बन्धित शपथ
येशदास ने इस शपथ
जानकी प्रमाण
वसिष्ठदास ने किया है।
Authorization No. 736
205 मधुआ विधानसभा
निर्वाचन

205 मधुआ विधानसभा (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं, उद्धोदर सिंह भाग-क
पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. मोती सिंह आयु 73 वर्ष,
जो मधुआ विधानसभा (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ,
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

- (1) मैं उद्धोदर सिंह (राजनैतिक दल का नाम)
द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(जो लागू न हो उसे काट दें)
(2) मेरा नाम 205 मधुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम
में भाग सं 198 के क्रम सं 136 पर प्रविष्ट है।
(3) मेरा/मेरी 7766095666 संपर्क दूरभाषा संख्या/संख्याएँ हैं/हैं और शून्य मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो)
है तथा (i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य मेरा/मेरी सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि
कोई हो) हैं/हैं।

(4) त्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1	स्वयं	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
2	पति या पत्नी	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
3	आश्रित - 1	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
4	आश्रित - 2	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
5	आश्रित - 3	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>

(5) मैं ऐसे किसी संबंधित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

अभिराक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न):-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है: शून्य

यदि अभिराक्षी उपयुक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
-----	--	-------

(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रितनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	7000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समय कुल मूल्य	21,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	खाली-459	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	2.17 1/2				
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	2.11 1/2				
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में)	3.50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	कुल माप)	330	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य					

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम स.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	500000/- S.B.I AKSHAY AS PUR K.C.C	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व 500000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने					

वाले विभाग को शोध्य	2300/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विजुकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं कृषि

(ख) पति या पत्नी शून्य

*(9क) आय के (स्रोतों) के ब्यौरे:

(क) स्वयं कृषि

(ख) पति या पत्नी शून्य

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

10th Pass, उच्च विद्यालय भुवना, वर्ष-1965

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कृ० डा० ब० सिंह
----	-----------------	------------------------------

डाक का पूरा नाम		ग्राम + पी० - १२५०११५५				
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		२०५ भुवनेश्वर विधानसभा क्षेत्र				
उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)		स्वतंत्र				
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	शून्य				
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्ध दोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	शून्य				
7.	...का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है		कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपए में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	40,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख.	स्थावर आस्तियां	2,17,1/2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	 की	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III.	अनुमानित					

	वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	35,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध (कुल)	भारतीय स्टेट बैंक 50,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	भारतीय स्टेट बैंक 50,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i) सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	भारतीय स्टेट बैंक 50,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	उच्चतम शैक्षणिक अर्हता : मेरी पास उच्च विद्यालयी शिक्षा वर्ष 1965 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख.....17.2.08..... को सत्यापित किया गया।

I hereby certify the document to be true
signed in my presence.
17.2.08

अभिषेक सिंह

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



दिनांक 18

GOVT. OF BIHAR
NATIONAL EXCISE & PROHIBITION DEPT.
BANK OF BIHAR

HKN

REVENUE DEPT.

बिहार
JUDICIAL

158

00000



Rs. 0000100

17

375449

**Zero*Zero*Zero*Zero*0

Additional Affidavit to be submitted by candidates

Election to BHABUA (KAIMUR) CONSTITUENCY Name of AKSHAI BAR SINGH
 from 205 BHABUA Constituency.



I AKSHAI BAR SINGH (name of candidate), son/daughter/wife of LATE. MR. I. F. SINGH
 aged 73 years, resident of VELLAKHALAS PUR, P.S. BHABUA, DIST. KAIMUR, BIHAR
 a candidate at the above election, do solemnly affirm and state on oath as under:-

(i) I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period
 of last 10 years prior to the date of notification of the current election.

OR

(ii) I have been allotted govt. accommodation at _____ (mention the
 address of the accommodation) during the period of last 10 years
 prior to the date of notification of the current election, and there are
 no arrears of any dues to be paid towards rent for the
 accommodation or any arrears to the agencies providing electricity,
 water and telephone at the said accommodation as on _____ (the
 date should be the last date of the 3rd month prior to the month in
 which the election is announced).

(iii) "No dues certificates" from the agencies concerned are attached
 hereto.



VERIFICATION

I, the deponent abovenamed, do hereby verify and declare that the
 above statements are correct to the best of my knowledge, and no
 part of it is false.

Verified at BHABUA this the day of Aug 2018

DEPONENT

Identify the deponent
 who has signed in my presence
AKSHAI BAR SINGH

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173(क))

मैं अशोक सिंह जो विधान सभा में एक स्थान को भरने के लिए
अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ/ सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं
विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की सम्प्रभुता
और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूँगा।

अशोक सिंह

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और
स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम

जो लागू न हो उसे काट दें।

श्री/श्रीमती अशोक सिंह आज दिनांक 19.2.18 माह
2018 को निर्वाची पदाधिकारी, 205-7152 विधान सभा आम निर्वाचन क्षेत्र
अशोक सिंह के कार्यालय प्रकोष्ठ में बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ
ली/ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

अशोक सिंह

19.2.18
(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम, पदनाम और मुहर।